<u>न्यायालयः—अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग (राजस्थान)</u>..

पीठासीन अधिकारीः— सरोज मीना,
राज.न्या.सेवा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या :— 154 सन् 2026

सी.आई.एस. संख्या :— 257 सन् 2026

साहब उर्फ लुटटन पुत्र केहरी सिंह उर्फ केहरसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी अ ऊ गेट, कस्बा डीग जिला डीग।

———**प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, डीग, (राजस्थान)

———**अप्रार्थी / अभियोगी**

प्रार्थना—पत्र बाबत् जमानत अंतर्गत धारा—482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बसिलसिले आपराधिक प्राथमिकी संख्या—359 / 2024पुलिस—थाना—डीग,जिला—डीग(राजस्थान) अपराध अन्तर्गत धारा—109(01), 3(05), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3 / 25 (06) आयुध अधिनियम

<u>उपस्थितः—</u>

1- श्री लोकेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2- विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांकः— 09.06.2026</u>

01— हस्तगत जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से अन्तर्गत धारा—482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, न्यायालय—हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण नियमानुसार दर्ज—पंजिका किया गया। प्रकरण से संबंधित अनुसंधान—पत्रावली को संबंधित पुलिस—थाना से तलब कर, प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई एवं संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

02— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार परिवादी निखिल फौजदार ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना—कोतवाली, जिला—डीग (राजस्थान) के समक्ष इस आशय के तथ्यों की प्रस्तुत की गई थी कि 06—11—2024 को दोपहर करीब 2. 30—3.00 बजे उसके पिता मुकेशसिह जो पार्षद है नगरपरिषद डीग से कोई कार्य करके घर लौट रहे थे जो मोटरसाईकिल पर थे घर से करीब 100 मीटर पहले ठाकुरसिह जाट की दुकान के पास जैसे ही उसके पिता पहुंचे तो पूर्व से

ही योजना बनाकर खडे तीन व्यक्ति जिनमे साहबसिह उर्फ लुट्टन पुत्र केहरसिह, जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र प्रतापसिह जातियान जाट निवासी अऊदरवाजा डीग व एक अन्य व्यक्ति जो बाईक लेकर खडा था जिसे उसके पिता द्वारा नहीं पहुंचाना गया उक्त दोनो व्यक्तियो द्वारा सोची समझी साजिश के तहत उसके पिता मुकेशसिहं को जान से मारने की नियत से अवैध हथियारो से गोलिया चलाई जो उसके पिता के दौनो पैरो मे लगी उसके पिता गोली लगने पर भी बाईक से घर तक पहुंचे और उक्त दोनो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की मोटरसाईकिल पर धमकिया देते हुये व हथियारो को हवा में लहराते हुये व फायरिंग करते हुये गलियो मे होते हुये भाग गये वह व अन्य परिवार के सदस्य पिताजी को पहले डीग अस्पताल जाये जहां से उनकी हालात चिंताजनक होने के कारण भरतपुर हॉस्पीटल मे रैफर कर दिया आदि पर मुकदमा संख्या 359/2024 जुर्म धारा 109(1), 3(5) बीएनएस, 2023 में कायम कर अनुसंधान विचाराधीन है।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष हैं जिसे झूंठा फंसाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन पक्ष की ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिससे प्रार्थी को अपराध में लिप्त माना जा सके। अभियुक्त का घटना से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूंठे व मनगढंत तरीके से फंसाया गया है। इसलिए अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4— इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 109(1), 3(5) बीएनएस का अपराध है, जो गंभीर प्रकृति के हैं। इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिये जाने का निवेदन किया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	मुकदमा सं0	धारा	पुलिस थाना
		निल	

6— बहस पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के पिता मुकेश सिंह पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग प्रार्थी के पिता को उसके विरूद्व पूर्व में संस्थित

प्रकरण में गवाही नहीं देने के आशय से करने का आरोप है। आज दिवस तक सम्पादित अनुसंधान में अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 109(1), 3(5) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया है। प्रार्थी / अभियुक्त को प्रकरण में नामजद किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी / अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया हो ऐसा इस स्तर पर प्रकट नहीं होता है।

7— प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

<u>आ दे श</u>

8— फलस्वरूप अभियुक्त साहब उर्फ लुटटन पुत्र केहरी सिंह उर्फ केहरसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी अ ऊ गेट, कस्बा डीग जिला डीग का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज दिया जाता है।

(सरोज मीना)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डीग जिला डीग

9— आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को लिखाया, हस्ताक्षरित किया व सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज मीना)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डीग जिला डीग